

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 19-09-16

अधि.सं.-01/स्था.(पदस्थापन)-11-06/2015.....3000/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (नियमित/चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री मृणाल, 3859/वैशाली/15.01.64	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को।	
2.	श्री सुनील कुमार जायसवाल 3578/पटना/01.08.58	उप निदेशक, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, हजारीबाग	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को।	
3.	श्री महेश कुमार चौधरी 3419/समस्तीपुर/22.12.62	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई रूपांकण एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, दुमका	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को।	
4.	श्री रामाकान्त तिवारी 3230/रोहतास/27.01.62	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, देवघर	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को।	
5.	श्री राजीव कुमार 4374/सीतामढ़ी/16.06.72	तकनीकी सलाहकार, जलपथ अंचल, गढ़वा	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 3000

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

3000

रॉची, दिनांक :-

19-09-16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोशंग) विभाग, झारखण्ड रॉची / माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी मुख्य अभियंता / प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची / सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंतर्गत विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।